राजस्व अपील संख्या : 82 / 2024
उनवान : सुजाराम व अन्य बनाम पेपीदेवी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 82 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 483

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
1. सुजाराम पुत्र जगाराम 2. जीवी पुत्री जगाराम 3. तीजो बाई पत्नी स्व. जगाराम तमाम जातिगण सिरवी, निवासीगण विरमपुरा माताजी, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.		पेपीदेवी पत्नी जीवाराम पुत्र वजाराम जाति सीरवी निवासी बेरा वाडी वाला खारडा रोड़, नाड़ोल, तहसील देसूरी, जिला पाली राज. हाल पूणे महाराष्ट्र

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा विरमपुरा माताजी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 563 दिनांक 16.05.2023 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गयो को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी।

–:निर्णय:–

दिनांकः 25.02.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा विरमपुरा माताजी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 563 दिनांक 16.05.2023 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त करवाने बाबत** पेश की। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स के पिता स्व. जगाराम पुत्र हकमाजी, जाति सीरवी निवासी विरमपुरा की मृत्यु दिनांक 02.04.2016 को हुई जिनके वारिस अपीलाण्ट संख्या एक पुत्र सुजाराम, अपीलाण्ट संख्या दो पुत्री जीवी, तथा अपीलाण्ट संख्या तीन पत्नी तीजोबाई जीवित थे एवं एक लड़का भुराराम की मृत्यु स्व. जगाराम जी की मृत्यु के पूर्व तारीख 06.01.2011 को हो गई थी एवं उसकी पत्नी पेपीबाई ने स्व. जगाराम जी की मृत्यु के पूर्व ही दुसरी शादी कर ली थी। स्व. भुराराम के कोई लड़का या लड़की वारिस नहीं थे एवं पत्नी ने भी दूसरी शादी नाड़ोल निवास जीवाराम पुत्र वजाराम के साथ कर ली है। जिसके वैवाहिक जीवन से पेपीदेवी के साथ शादी करने के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जो आज की तारीख में दो वर्ष का है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 563 भरते वक्त पेपीदेवी स्व. भुराराम पुत्र जगाराम की पत्नी नही थी। बावजुद इसके स्व. जगाराम की मृत्यु होने के बाद उनके वारिसान के नाम का नामान्तरकरण संख्या 563 दिनांक 13.03.2023 को पटवारी हल्का ढालोप द्वारा भरा जिसको भू अभिलेख निरीक्षक दादाई द्वारा जांच की गई एवं तारीख 16.05.2023 को स्वीकृत किया गया जिस नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलाण्ट्स की तरफ से उपरोक्त अपील निम्न आधारो पर पेश है:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 82/2024

उनवान : सुजाराम व अन्य बनाम पेपीदेवी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विरुद्ध भरा जाने के कारण काबिल खारिज है।
2. यह कि अपीलाण्ट्स स्व. जगाराम पुत्र हकाराम के वारिसान व उत्तराधिकारी है। जगाराम जी की मृत्यु तारीख 02.04.2016 को हुयी है उस समय जगाराम की मृत्यु के 5 वर्ष पूर्व उनके एक पुत्र भुराराम की मृत्यु तारीख 06.01.2011 को हो गयी थी, उसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुए एवं स्व. भुराराम की मृत्यु होने के कुछ समय बाद पेपीदेवी ने नाड़ोल निवासी जीवाराम पुत्र वजाराम के साथ दूसरी शादी कर ली थी जिनके वैवाहिक जीवन से दो वर्ष पूर्व एक लड़का पैदा हुआ है उसके बावजुद रेस्पोडेण्ट ने राजस्व अधिकार व कर्मचारियों से मिलावट कर अपने स्वय के नाम नामान्तरकरण भरवा दिया जबकि स्व. जगाराम जी की उत्तराधिकारी एवं वारिस नहीं रही थी। बावजुद इसके फौतेदगी नामान्तरकरण द्वारा रेस्पोडेण्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील काबिल निरस्तनीय है।
3. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील संख्या 563 दिनांक 13.03.2023 को पटवारी हल्का ढालोप द्वारा भरा गया जिसको जांच हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक दादाई को भेजा गया जिन्होंने बिना किसी जांच के सही होने स्वीकार है लिख दिया एवं ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील फौतेदगी से सम्बन्धित होने के कारण इसको ग्राम पंचायत के बोर्ड की बैठक में पैस किया जाना कानुनी जरुरी था एवं अगर ग्राम पंचायत द्वारा कानून म्याद के भीतर कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तहसीलदार देसूरी नामान्तरकरण के निर्णय का अधिकार प्राप्त होता लेकिन तहसीलदार ने सीधे ही नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया है जो विधि विधान के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।
4. यह कि स्व. जगाराम पुत्र हकाराम जाति सीरवी थे जो हिन्दु थे तथा हिन्दु विधि से गवर्न होते थे स्व. जगाराम की मृत्यु निर्वसियत हुयी है ऐसी स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अनुसूची प्रथम में वर्णित वारिसान को फौतेदगी नामान्तरकरण में दर्ज करना कानूनन जरुरी था लेकिन बावजुद इसके नामान्तरकरण जैर अपील के जरिये रेस्पोडेण्ट ने अपने नाम का इन्द्राज गलत व गैर कानुनी रुप से दर्ज करवा दिया एवं तहसीलदार से सीधा ही नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करवा दिया जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील काबिल खारिज है।
5. यह कि फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय उसके पीछे पुश्त पर वंश वंशावली का बनाया जाना जरुरी है एवं साथ ही तमाम वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर दे कर नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए लेकिन इस प्रकरण में अपीलाण्ट जो स्व. जगाराम के वारिसान है उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं बिना जांच के स्व. जगाराम जी की मृत्यु के कई वर्ष पूर्व यानि लगभग पांच वर्ष से ज्यादा समय से रेस्पोडेण्ट ने स्व. जगाराम के घर को छोडकर नाड़ोल निवासी जीवाराम पुत्र वजाराम से शादी कर ली है जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील में जगाराम जी की मृत्यु के बाद भरे गया नामान्तरकरण में रेस्पोडेण्ट का नाम गलत व गैर कानुनी रुप से दर्ज कर दिया गया जो नामान्तरकरण जैर अपील काबिल खारिज है।
6. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील एक सोची समझी साजिश के तहत भरा गया है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं दी गई और रेस्पोडेण्ट ने बाले बाले राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर अपने पक्ष में नामान्तरकरण भरवाकर दो दिन के भीतर ही बिना जांच के स्वीकृत करवा दिया है। नामान्तरकरण को देखने मात्र से स्पष्ट है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 82/2024
उनवान : सुजाराम व अन्य बनाम पेपीदेवी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

कि यह पिछली तारीख में स्वीकृत करवाया गया नामान्तरकरण है क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरने के पूर्व ही भू. अभिलेख निरीक्षक अपनी जांच रिपोर्ट नामान्तरकरण जैर अपील पर दर्ज कर देता है और तहसीलदार उसके बाद स्वीकृत के नोट सहित नामान्तरकरण जैर अपील को स्वीकार कर देता है। उक्त तमाम कार्यवाही से स्पष्ट है कि स्व. जगाराम के वारिसान बाबत किसी भी राजस्व अधिकारी ने कोई जांच नही की केवल मात्र रेस्पोडेण्ट से मिलकर नामान्तरकरण जैर अपील भरवाया है जो नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

7. यह है कि अपीलाण्ट्स अपने पैतृक पुश्तैनी खातेदारी भूमि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काश्त का कार्य कर रहा था, तभी दो तीन लोग आये एवं वादग्रस्त भूमि को देखने लगे इस पर अपीलाण्ट्स ने जानकारी हासिल की तो, उन्होनें बताया कि रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज हिस्से को वे खरीदना चाहते है, इस पर अपीलाण्ट्स द्वारा पटवारी हल्का ढालोप से सम्पर्क किया गया तो, उन्होने जाहिर किया गया कि फौतेदगी नामान्तरकरण से रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज किया गया है जिसकी नकल पटवारी हल्का ने बताया कि आजकल नामान्तरकरण की नकल ऑनलाईन तहसीलदार के डिजीटल हस्ताक्षरों से जारी की जाती है इस पर अपीलाण्ट्स की तरफ से नामान्तरकरण जैर अपील की नकल निकलवाई उसके अवलोकन से सर्वप्रथम जानकारी हुयी कि स्व. जगाराम की फौतेदगी के बाद रेस्पोडेण्ट ने गलत व गैर कानूनी अपना नाम दर्ज करवाया है। एवं रेस्पोडेण्ट इस इन्द्राज के आधार पर अपीलाण्ट्स की उक्त अपील जानकारी के बाद अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत की जा रही है अपील को देरी से पेश किये जाने के डिले को कण्डोन करने हेतु धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 563 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट का नाम भी स्व. जगाराम के वारिसान के रुप में दर्ज किये जाने के निर्देश जारी किये जावे एवं रेस्पोडेण्ट का नाम हटाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

अप्रार्थिया को प्रेषित रजिस्टर्ड सम्मन दिनांक 11.03.2025 सम्यक् रुप से डिलीवर होने के उपरान्त भी अप्रार्थिया द्वारा न्यायालय हाजा में आदिनांक उपस्थिति नहीं दी गई है। अतः अप्रार्थिया के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब कर शामिल मिसल किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष ने वक्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया कि ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण के द्वारा पुनर्विवाहित विधवा के पक्ष में किया गया है जो प्रारम्भतः ही शून्य होने से काबिल खारिज है।

अपील मीमों, मूल रिकॉर्ड तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का कोई प्रतिकार नहीं होने तथा हस्तगत प्रकरण में विधि एवं तथ्यों के महत्वपूर्ण तथ्य अन्तर्निहित होने से उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित सशपथ कथनों को स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का उपशमन किया जाता है तथा हस्तगत अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता श्री जगाराम पुत्र हकमाजी सीरवी की दिनांक 02.04.2016 को मृत्यु होने पर हल्का पटवारी ढालोप द्वारा उनकी खातेदारी कृषि भूमियों में इन्तकाल नामान्तरकरण संख्या 563 दर्ज करते हुए अपीलार्थीगण के साथ साथ अप्रार्थिया श्रीमती पेपी पत्नी भूराराम का नाम प्रविष्ट किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 82/2024

उनवान : सुजाराम व अन्य बनाम पेपीदेवी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

की जाँच उपरान्त तहसीलदार देसूरी द्वारा उक्त ज़ेर अपील नामान्तरकरण संख्या 563 को दिनांक 05.05.2023 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आज्ञा को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि उक्त श्री पेपी के पति श्री भूराराम स्व. श्री जगाराम के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई थी तथा पति की मृत्यु उपरान्त श्री जगाराम के जीवित रहते ही श्री पेपी द्वारा पुनर्विवाह अर्थात नाता विवाह कर लिया गया था एवं पति की पुश्तैनी सम्पति में पुनर्विवाह विधवा का वैधानिक अधिकार/हक हकूक नहीं होने से आलोच्य नामान्तरकरण काबिल खारिज है।

इस सम्बन्ध में, अपीलार्थीगण द्वारा वक्त सुनवाई प्रस्तुत एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी संख्या एक श्री सुजाराम द्वारा दिनांक 27.02.2023 तहसीलदार देसूरी को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके पिता स्व. जगाराम एवं भाई स्व. श्री भूराराम व स्व. पिराराम की मृत्यु उपरान्त सलंग्न शपथपत्र में वर्णित वैध वारिसों/उत्तरजीवियों के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही करावें। सलंग्न शपथपत्र में तीनों अपीलार्थीगण को ही वैध उत्तरजीवी के रुप में अंकित किया जाना स्पष्ट है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर जाँच रिपोर्ट तलब किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.03.2023 को यह टिप्पणी प्रेषित की गई कि

"वारिसानों की जाँच की गई। जाँच अनुसार भूराराम की पत्नी जीवित है एवं नाते गई हुई है। नियमानुसार नामान्तरकरण किया जाना उचित है।"

अर्थात् हल्का पटवारी ढालोप द्वारा उक्त जाँच में यह स्पष्ट अंकन किया गया कि श्री जगाराम के पुत्र स्व. भूराराम की पत्नी अर्थात (अप्रार्थिया श्रीमती पेपी) द्वारा नाता विवाह कर लिया गया था किन्तु हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 13.03.2023 को ज़ेर अपील आलोच्य नामान्तरकरण की दर्ज कर अपीलार्थीगण के साथ साथ उक्त स्व. भूराराम की पुनर्विवाह कर चुकी विधवा अर्थात अप्रार्थिया का नाम भी प्रविष्ट कर लिया गया।

वैधानिक स्थिति यह है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानान्तर्गत पति की मृत्यु उपरान्त विधवा पत्नी द्वारा पुनर्विवाह किये जाने की स्थिति में पूर्व पति की पुश्तैनी सम्पति में वैधानिक हक हकूक की उपधारणा नहीं की जा सकती।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान "गुलाब बनाम राजस्व मण्डल व अन्य" 2006 (2) RRT 1085 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान " Kasturi Devi Vs. DY. Director, commission ALR 1976 SC 2595 में प्रदत्त निर्णयों में इसी वैधानिक सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाती है तथा पटवार मण्डल ढालोप के नामान्तरकरण संख्या 563 के सम्बन्ध में तहसीलदार देसूरी की स्वीकृति आज्ञा दिनांक 05.05.2023 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण तहसीलदार देसूरी को पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि समस्त पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सर नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रभाव में लाए।

निर्णय आज दिनांक **25.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया व अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)